राजस्व लोक अदालत कैम्प असाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 603 /2018

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थी |
|---|---|---|
| तहसीलदार,पचपदरा | | 1. वीरसिंह, नाथूसिंह पुत्र आमसिंह, पृथ्वीराजसिंह, शैतानसिंह पुत्र दीपसिंह वगै0 जाति राव |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांक :- 13.06.2018

पत्रावली आज पेश हुई । प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दौराने गस्त गिरदावरी ग्राम असाडा मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। उनका अंकन किया जावे। राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा असाडा के ख0न0 2347/325 रकबा 0.11 बीधा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, जिसकी पालना में विप्रार्थीगण उपस्थित हुए रास्ता दर्ज करने के सम्बन्ध में कोई आपति पेश नही की पटवारी हल्का ने बताया की उक्त रास्ता खातेदारन द्वारा आपसी सहमती विभाजन मे रास्ते हेतु शामलात छोडा गया था।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपति प्रकट नहीं की है। पटवारी हल्का मौजा **असाडा** ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे मे 'ए' से 'बी, बिन्दु तक ख0न0 2347/325 रकबा 0.11 बीघा रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीम करने की प्रार्थना की है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना **असाडा** में अवस्थित ख0न0 2347/325 रकबा 0.11 बीघा के बिन्दु 'अ' से 'ब' बिन्दु तक में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'अ' से 'ब' बिन्दु तक का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आजं दिनांक को 13.06.2018 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम,)
(भागीरथ राम)
भू–अभिलेख अधिकारी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
(एसडीओ) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प

Scanned by CamScanner